

नवीन वस्तु
प्रस्तुत करने
के अधिकार को
उत्तर प्राप्त करने
के लिए, उत्तर प्राप्त
पत्र को विद्ये
करना है।

आज्ञापूर्वक
ADP

12/11/2025

पत्रावली पंखाइकी वकील जर्मी वही गजानन्द सिंह 'खत' जर्मी की
और मे उपस्थित है। वकील जर्मी द्वारा 'धायलय' के निवेदन
किया गया कि जर्मी गण के नवीन आ-पत्र पंखाइ करने के अधिकारों
को सुरक्षित रखते है, जर्मीना पत्र विद्ये करना चाहते है वकील
जर्मी को सुना गया। वकील जर्मी द्वारा पत्रावली में निवेदन किया गया
कि, जर्मी पत्रावली में आगे की डायवेंली नहीं चालते है। अतः जर्मीना-पत्र
द्वारा 25/11/2025 पर डायवेंली वही स्तर पर समाप्त की जावे।
वही शर्त है व वकील जर्मी द्वारा पत्रावली साफेबिना पर टिप्पणी
दरजे की गई। जर्मी अधिकार पत्रावली में आगे की डायवेंली नहीं
लागातार

उपसंहार अधिकारी
मिनाय (अजमेर)

फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मिनाय जिला-अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या-155/2024

बनाम.....

अन्तर्गत धारा:-.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज
	<p>चाहते हैं। उक्त रिपोर्ट में पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं शह जाती है। उक्त वकील उक्त मैजिस्ट्रेट निवेदन तथा लिखित टिप्पणी से स्वीकार किया जाकर पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर जारी, जहाँ जज के नवीन आदेश पेश करने से अधिकारी को सुरक्षित रखते हैं, आदेश पर कार्यवाही इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है। पत्रावली फिलहाल सुमाय हो। नाम पर से इसके लिए दायित्व दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">(४)</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मिनाय (अजमेर)</p>